संख्या- 32 / 2016 / 4274 /चार-2015-17(बजट)2009

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 16 फरवरी , 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या फैजाबाद को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधान के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2343 /सं0नि0-20 (अयो0शो0सं0)/2015, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-64/3170 /चार-2015-17 (बजट)/2009, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या फैजाबाद को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि धनराशि रू0 160.00 लाख (रूपये एक करोड़ साठ लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 80.00 लाख (रूपये अस्सी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवशेष रू0 63.00 लाख (रूपये तिरसठ लाख मात्र) की अन्तिम किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यमाल आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्यता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015दिनांक 30 मार्च,2015 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

4- अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या , फैजाबाद को पूर्व वर्षो में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा /आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या , फैजाबाद द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षो में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नही है।

6- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 101- ललित कला शिक्षा-17 - अयोध्या शोध संस्थान को अनुदान -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-130(1)/दस-2016,दिनांक 15 फरवरी ,2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या- 32 / 2016 / 4274 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या फैजाबाद।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/